हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 2 अगस्त, 2016

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) ए.एम.बी./साहा/सी.ए./2016/2329.— चूंकि, सरकार की राय में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गए क्षेत्र निर्माण क्रियाकलाप, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या आमोद—प्रमोद संबंधी सम्पदाओं, क्रिया कलापों तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों हेतू संभाव्य है।

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात:—

अनुसूची

साहा, जिला अम्बाला (औद्योगिक विकास केन्द्र) की अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं को अनुसूची की ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (ए) 2980 / 2016, दिनांक 12 मई, 2016 के साथ पढ़ा जाए।

- पश्चिम:— बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जोकि गांव तेपला (हदबस्त संख्या 133) की आयत संख्या 51 का दक्षिण पूर्वी कोना है, तत्पश्चात् पश्चिम की ओर चलते हुए गांव तेपला (हदबस्त संख्या 133) की आयत संख्या 51, 52, 53, 54 तथा 55 की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ गांव तेपला (हदबस्त संख्या 133) की आयत संख्या 55 की दक्षिणी पश्चिमी कोने तक, जो पहले से ही घोषित नियंत्रित क्षेत्र भाग— IV अम्बाला के बिन्दु "डी" पर मिलता है, तत्पश्चात उत्तर की ओर चलते हुए पहले से ही घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक जोकि गांव मिठापुर, समलहेड़ी, महताबगढ़ (हदबस्त संख्या 96—94—69) की आयत संख्या 122 का उत्तरी पश्चिमी कोना है।
- उत्तरः— तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से पूर्व की ओर चलते हुए गांव मिठापुर, समलहेड़ी, महताबगढ़ (हदबस्त संख्या 96—94—69) की आयत संख्या 122, 123, 124, 125, 126 तथा 127 के उत्तरी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् उत्तर की ओर चलते हुए गांव मिठापुर, समलहेड़ी, महताबगढ़ (हदबस्त संख्या 96—94—69) की आयत संख्या 104, 101 तथा 76 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात पूर्व की ओर चलते हुए गांव मिठापुर, समलहेड़ी, महताबगढ़ (हदबस्त संख्या 96—94—69) की आयत संख्या 76, 75, गांव साहा (हदबस्त संख्या 93) की आयत संख्या 6, गांव लाहा (हदबस्त संख्या 72) की आयत संख्या 20, 19, 18, 17, 16 तथा 15 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ जो वह गांव लाहा (हदबस्त संख्या 72) की उत्तरी राजस्व सीमा पर मिलता है, तत्पश्चात पूर्व की ओर चलते हुए गांव लाहा (हदबस्त संख्या 72), गांव साहा (हदबस्त संख्या 93) गांव नहावानी (हदबस्त संख्या 92) की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव नहावनी (हदबस्त संख्या 92) की आयत संख्या 11 का दक्षिणी पूर्वी कोना है।
- पूर्व:— तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से दक्षिण की ओर चलते हुए गांव नहावनी (हदबस्त संख्या 92) की आयत संख्या 22, 28, 39, 49, 61, 72, 82, 90, 94 तथा 100 गांव हमीदपुर (हदबस्त संख्या 137) की आयत संख्या 2, 5, 11, 15 तथा 23 के पूर्वी सीमा के साथ—साथ गांव हमीदपुर (हदबस्त संख्या 137) की आयत संख्या 23 के दक्षिण पूर्वी सीमा के साथ—साथ बिन्दु डी तक, जो गांव हमीदपुर की आयत संख्या 23 का दक्षिणी पूर्वी कोना है।
- दक्षिण:— तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से पश्चिम की ओर चलते हुए गांव हमीदपुर (हदबस्त संख्या 137) की आयत संख्या 23, 22, 21 तथा 20, गांव हेमा माजरा (हदबस्त संख्या 153) की आयत संख्या 2 तथा 1, गांव अलापुर (हदबस्त संख्या 154) की आयत संख्या 2 तथा 1, गांव कालपी (हदबस्त संख्या 136) की आयत संख्या 66 की दक्षिणी सीमा से रक्षा भूमि तक, तत्पश्चात दक्षिण की ओर रक्षा भूमि की सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ई' तक जो कि पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र साहा की सीमा पर मिलती है, तत्पश्चात् बिन्दु "ई" से उत्तर और पश्चिम की ओर चलते हुए पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र साहा की सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

पी० राघवेन्द्र राव, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 2nd August, 2016

No.CCP(NCR)AMB-Saha/CA/2016/2329.— Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities, industrial, commercial, institutional, recreational estates/activities and uses subservient to the above.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

Schedule

Schedule of boundaries of the Additional Controlled Area Saha, district Ambala (Industrial Growth Centre) to be read with Drawing No. DTP(A) 2980/2016, dated 12th May, 2016.

- West Starting from point 'A' *i.e.* the South-East corner of rectangle number 51 of village Tepla (Hadbast number 133), thence moving towards west along the southern boundary of rectangle number 51, 52, 53, 54 and 55 upto South-West corner of rectangle number 55 of village Tepla (Hadbast number 133) where it meets point 'D' of the already declared Controlled Area boundary Part-IV, Ambala, thence moving towards north along already declared Controlled Area boundary upto point 'B' i.e. the North-West corner of rectangle number 122 of village Mithapur- Samalheri-Mahtabgarh (Hadbast number 96-94-69).
- North Thence moving from point 'B' towards east along northern boundary of rectangle number 122, 123, 124, 125, 126 and 127 of village Mithapur-Samalheri-Mahtabgarh (Hadbast number 96-94-69), thence moving towards north along western boundary of rectangle number 104,101 and 76 of village Mithapur-Samalheri-Mahtabgarh (Hadbast number 96-94-69) upto North-West corner of rectangle number 76 along northern boundary of rectangle number 76, 75 of village Mithapur-Samalheri-Mahtabgarh (Hadbast number 96-94-69), rectangle number 6 of village Saha (Hadbast number 93), rectangle number 20, 19, 18, 17, 16 and 15 of village Laha (Hadbast number 72) upto the point where it meets the northern revenue boundary of village Laha (Hadbast number 72), thence moving towards east along the northern revenue boundary village Laha (Hadbast number 72), village Saha (Hadbast number 93), village Nahawani (Hadbast number 92) up to point 'C' i.e. the South-East corner of rectangle number 11 of village Nahawani (Hadbast number 92).
- EastThence moving from point 'C' towards south along eastern boundary of rectangle number 22, 28, 39, 49, 61, 72, 82, 90, 94 & 100 of village Nahawani (Hadbast number 92), rectangle number 2, 5, 11, 15 and 23 of village Hamidpur (Hadbast number 137) upto point 'D' i.e. South-East corner of rectangle number 23 of village Hamidpur (Hadbast number 137).
- Thence moving from point 'D' towards west along southern boundary of rectangle number 23, 22, 21 and 20 of village Hamidpur (Hadbast number 137), rectangle number 2 and 1 of village Hema Majra (Hadbast number 153), rectangle number 2 and 1 of village Alapur (Hadbast number 154), rectangle number 66 of village Kalpi (Hadbast number 136) up to defence land, thence moving towards south along boundary of defence land up to point 'E' where it meets the already declared controlled area boundary Saha, thence moving towards North and West along already declared controlled area boundary Saha upto point 'A' i.e the point of start.

P. RAGHAVENDERA RAO, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.